

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/26)

निर्णय दिनांक:- 25-2-26

1. रामकरण पुत्र गणेशाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—



1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट


अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-11-1999
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकान बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 24-11-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ मुकाम बीकानेर द्वारा दिनांक 15-04-1995 को विशेष आवंटन में भूमि आवंटन करवाने हेतु चक 13 पी.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 89/43 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 89/51 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा कुल तादादी 49 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा अपने आवंटन संबंधी समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे। अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने कई बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मु. बीकानेर के कार्यालय में अपने द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में सूचना चाही परंतु इन कार्यालयों से अपीलार्थी को कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जिसमें अपीलांट को रूपये जमा करवाने हेतु किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई।



अपीलांट द्वारा पत्रावली को खोजबीन करने पर दिनांक 10-01-2025 को अपीलांट को पत्रावली के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब अपीलांट द्वारा प्रमाणित नकल प्राप्त की गई तो अपीलांट को पता चला की अपीलांट का आवेदन दिनांक 24-11-1999 को ही खारिज किया जा चुका है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जिसने विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी वरियता के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन होने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-1999 जारी किया गया। जिसके द्वारा अपीलांट 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने की वजह से अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना



राजस्थान उच्च न्यायालय
बीकानेर

पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियांद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियांद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेंट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई


 राजस्व अपील अधिकारी
 बीकानेर

एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 13 पी.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 89/43 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 89/51 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा कुल तादादी 49 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 15-07-1995 को अपीलांत का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांत को चक 13 पी.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 89/43 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 89/51 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा कुल तादादी 49 बीघा अनकमाण्ड बीघा भूमि के के आवंटन हेतु पात्र घोषित किया गया था तथा अपीलांत को समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ चालान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु दिनांक 24-11-1999 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांत का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांत का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांत को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये



[Handwritten Signature]
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05-01-2026 उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नहीं है तथा ऐसे विधि विरुद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।




इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

[6]

आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।



निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25-2-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
बीकानेर